

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-307

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों का उन्नयन

***307. श्री रमेश बिन्द:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ताप और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन के लिए कुल लागत का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

श्री रमेश बिन्दु द्वारा पूछे गए "ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों का उन्नयन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 307 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम)/कार्यकाल विस्तार (एलई) कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2020 में आरएंडएम दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने दिनांक 16.03.2022 को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में आरएंडएम/एलई कार्यों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और दिनांक 01.08.2023 को कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों में आरएंडएम/एलई/उन्नयन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संशोधित आरएंडएम दिशानिर्देश परिचालित किए।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने दिनांक 20.01.2023 की एडवाइज़री द्वारा संयंत्रों का कार्यकाल समाप्त करने की बजाए वर्ष 2030 तक और उसके बाद संयंत्रों को चलाने के लिए आर एंड एम/एलई के कार्यान्वयन और यदि संभव हो तो, ग्रिड में सौर तथा पवन ऊर्जा एकीकरण को सुविधा प्रदान करने के लिए दो शिफ्ट मोड में संयंत्रों को प्रचालन के लिए तैयार करने का सुझाव दिया।

राज्य और केंद्रीय दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2017-22 के दौरान कुल 1197 मेगावाट क्षमता की 8 ताप विद्युत यूनिटों में आर एंड एम/एलई कार्य पूरे हो चुके हैं। जून, 2033 तक आर एंड एम/एलई कार्यों के लिए केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र में 38150 मेगावाट क्षमता की 148 कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों को अभिचिन्हित किया गया है।

तथापि, उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार उत्पादन एक अनुज्ञप्ति रहित गतिविधि है और कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों में आर एंड एम/एलई करने का अंतिम निर्णय विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अपनी स्वयं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया जाता है।

जल विद्युत संयंत्रों के मामले में, सीईए ने जुलाई, 2020 में "जल विद्युत स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए दिशानिर्देश" तैयार और प्रकाशित किए हैं, जो आयोजना, आर एंड एम कार्यों को अभिचिन्हित करने, डीपीआर तैयार करने, निविदाकरण तथा कार्यों के कार्यान्वयन में जलविद्युत यूटिलिटीयों को सहायता प्रदान करता है। .

वर्ष 2017-22 के दौरान केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 2049.4 मेगावाट की 35 जल विद्युत यूनिटों में आर एंड एम/एलई पूरा हो चुका है। वर्ष 2022-27 के लिए आर एंड एम/एलई कार्यों के लिए केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र में 12183.1 मेगावाट क्षमता की 241 जल विद्युत यूनिटों को अभिचिन्हित किया गया है।

(ग) और (घ) : आर एंड एम/एलई कार्यों की अनुमानित लागत यूनिट-दर-यूनिट अलग-अलग होती है और दक्षता में सुधार, सुरक्षा अपेक्षाओं, उपकरण/घटकों के अप्रचलन, अप्रत्याशित विफलताओं, अत्यधिक उपयोग के कारण अक्षमता एवं अवशिष्ट कार्यकाल मूल्यांकन (आरएलए)/स्थिति मूल्यांकन (सीए)/विध्वंसक परीक्षण अध्ययन तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा अध्ययन के आधार पर पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में, आर एंड एम कार्यों की अनुमानित लागत निम्नलिखित पर निर्भर करती है:

- i) विद्युत क्षमता अध्ययन
- ii) इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पहलू
- iii) सिविल तथा ईएंडएम कार्यों का लागत अनुमान
- iv) आईडीसी (निर्माण के दौरान ब्याज)
